भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 257

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप

257. श्री गणेश सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए कोई प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों - राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस) , क्षेत्र अधिकारी निगरानी ऐप, जियोएमजीएनआरईजीएस, युक्तधारा पोर्टल, सिक्योर एप्लीकेशन और जलदूत ऐप के उपयोग से कार्यस्थल निगरानी , परिसंपत्ति सृजन और पारदर्शिता में किस प्रकार सुधार हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना जिले में इन प्रौद्योगिकीय सुधारों के परिणामस्वरूप कार्य-निष्पादन, निगरानी और रोजगार सृजन में क्या प्रभाव या सुधार देखा गया है; और

(घ) क्या बेहतर दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा योजना में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), भौगोलिक सूचना प्रणाली और आंकड़ा विश्लेषण जैसे उन्नत तकनीकी उपस्करों को एकीकृत करने की कोई कार्य-योजना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह योजना नरेगासॉफ्ट नाम के एक पूर्णत: एकीकृत लेनदेन-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू की गई है। इसके द्वारा, योजना की आयोजना, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति, जॉब कार्ड जारी करना, मांग स्वीकार करना, मस्टर रोल जारी करना, कार्य का मापन, भुगतान का अनुमोदन और

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म द्वारा लाभार्थी को अंतिम भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी की जाती है।

अलग-अलग तकनीकी माध्यमों से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई है। योजना के अंतर्गत जारी निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी और मूल्यांकन हेतु किए गए विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी अनुबंध में दी गई है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कई तकनीकी आधारित सुधार जैसे कि ई-मस्टर रोल, आधार-आधारित भुगतान, सम्पत्तियों की जियो-टैगिंग, वास्तविक-समय एमआईएस निगरानी, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस), क्षेत्र अधिकारी ऐप, सिक्योर, युक्तधारा योजना पोर्टल और जलदूत ऐप ने मिलकर कार्य करने की सटीकता में सुधार, पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, समय पर मजदूरी संवितरण सुनिश्चित करना और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम दक्षता को बढ़ाया है। ये कार्यकलाप जिला सतना, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी रहे हैं, जहां डिजिटल उपस्थिति, जियो-टैग की गई कार्य प्रगति और एमआईएस-आधारित योजना के परिणामस्वरूप कार्यों का बेहतर सत्यापन, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर निगरानी और स्थानीय मांग के सापेक्ष अधिक समय पर रोजगार सृजन हुआ है।

(घ): मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जीआईएस, और डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां को जोड़ने के लिए कई कार्य योजनाएँ शुरू की हैं ताकि दक्षता, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं:

(i) **ईकेवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण के साथ एआई संचालित निगरानी**: एनएमएमएस के तहत एआई/एमएल उपकरण, आधार आधारित ईकेवाईसी, और चेहरा प्रमाणीकरण के इस्तेमाल को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि वास्तविक श्रमिक की पहचान हो सके, किसी दूसरे के स्थान पर लगाई गई उपस्थिती को रोका जा सके और पारदर्शिता बेहतर हो सके।

(ii) जीआईएस आधारित योजना और निगरानी: वैज्ञानिक आयोजना सम्पत्तियों की जियो टैगिंग और कार्यों की वास्तविक समय स्थानिक निगरानी के लिए युक्तधारा और जियो मनरेगा जैसे जीआईएस प्लेटफॉर्म्स का विस्तार।

(iii) **निर्णय लेने के लिए डेटा विश्लेषण:** राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर निधि प्रवाह, कार्य की प्रगति, श्रम मांग प्रवृति और निष्पादन संकेतक को निगरानी करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड बनाए जा रहे हैं।

(iv) **माप और सत्यापन में स्वचालन:** सिक्योर जैसे डिजिटल उपकरण को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि कार्य माप को स्वचालित किया जा सके, मानवी गलतियों को कम किया जा सके, और वास्तविक और वित्तीय प्रगति के बीच पारदर्शी संबंध सुनिश्चित किया जा सके।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 257 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा(एनएमएमएस):** यह महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों(व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दिन में दो बार दर्ज करने की सुविधा देता है। यह ऐप कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

iii. **क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एप्लिकेशन:** यह ऐप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प्ड और जियोटैग्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऐप कार्यस्थल के दौरे की बाधारहित रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। यह ऐप क्षेत्रीय दौरे के जांच-परिणामों को रिकॉर्ड करता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के परिणाम की रिपोर्ट को देखा जाता है।

iv. **जीआईएस आधारित योजना- अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग:**देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली अप्रोच) तैयार करना।

v. **युक्तधारा: जीआईएस आधारित योजना उपकरण–** महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" बनाया गया है।

vi. **सिक्योर- रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर:-** इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लागत की गणना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।

vii. **जियो नरेगा:** इस ऐप को अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के"पहले", "निर्माण के दौरान" और "निर्माण के बाद" चरणों में इसे जियोटैगिंग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके।

viii. **जलदूत ऐप:** देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप बनाया गया है। जलदूत ऐप से ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम बनाता है।

ix. **जनमनरेगा ऐप:** यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में मदद करता है। नागरिक जागरूकता योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन की कुंजी है।

x. **लोकपाल ऐप-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर आसानी से नज़र रखने और समय पर निर्णय पारित करने तथा वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट को आसानी से अपलोड करने के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है।

xi. **सामाजिक लेखा परीक्षा:** अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत संरचना की स्थापना पर जोर दिया है। मंत्रालय के लगातार प्रयासों से कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाए गए पंचायत निर्णय ऐप के उपयोग से सामाजिक लेखा परीक्षा को और सुदृढ़ किया गया है क्योंकि इससे सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ती है। इस ऐप के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा के दौरान लिए गए शेड्यूल, कार्यसूची और निर्णय देखे जा सकते हैं।

*****